

डॉ अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान जयपुर
13-14 झालाना डगूरी जयपुर -302004
निविदा आमंत्रण सचूना (NIT)

No.Dr.AMWS/BNS/2026/01

दिनांक : 19.05.2026

राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत अथवा सक्षम प्राधिकारी से पंजीकृत योग्य एव अनुभवी निर्माण कार्य करने वाले सवेदको/ ठेकेदारो फर्मो से सीलबंद निविदा से आमंत्रित की जाती हैं।

कार्य का विवरण :-

डॉ अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर के कैम्पस में माता रमाबाई बालिका छात्रावास का निर्माण प्रस्तावित हैं जिसमे लगभग 100 कमरे, वार्डन कक्ष, स्वागत कक्ष, मैस, जिम, इत्यादि अन्य सुविधाएँ शामिल हैं।

जिसके निर्माण करने के लिए सिविल कार्य के लिए ठेकेदार की आवयकता हैं।

निविदा विवरण

निविदा शुल्क – 500 रूपये

क्र. सं.	विवरण	जानकारी
1	कार्य का स्थान	झालाना संस्थागत क्षेत्र जयपुर
2	अनुमानित निर्मित क्षेत्र	लगभग 40000 वर्गफुट चार मंजिल प्रत्येक मंजिल 10000 वर्ग फुट
3	कार्य का दायरा	छात्रावास भवन निर्माण कार्य
4	धरोहर राशि	Rs 250000/-
5	कार्य अवधि	15 महिने
6	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	05 जून 2026 दापेहर 3:00 बजे तक
7	निविदा खोलने की तिथि एव समय	06 जून 2026 साय 5:30 बजे तक
8	निविदा जमा कराने का स्थान	कार्यालय डॉ अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, 13-14, झालाना संस्थागत क्षेत्र, जयपुर
9	दाशे दायित्व अवधि	कार्य समापन के बाद 5 वर्ष
10	प्रस्ताव की वैधता अवधि	टेन्डर खोलने के 90 दिन तक
11	परिसमापन हर्जाना	0.5% प्रति सप्ताह व अधिकतम 5% स्वीकार्य निविदा राशि

हस्ताक्षर ठेकेदार

12	सिक्योरिटी डिपोजिट	5% स्वीकारिये राशि का धराहेर राशि व फरफॉमस गांरटी राशि को समेलित करते हुए
13	फरफॉमस गांरटी	Rs 1000000 (दस लाख मात्र) धराहेर राशि को समेलित करते हुए
14	Contact Person	Ar. S.K beri Mob. No. 9413729770

सत्यवीर सिंह (IPS Retd.)

(अध्यक्ष)

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान

पात्रता शर्तें :

1. ठेकेदार फर्म का पंजीकरण राजस्थान PWD/राज्य सरकार के अन्य विभागों।
2. न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम 3 परियोजनाएँ समान संस्थागत/छात्रावास/आवासीय भवन परियोजनाओं में पूरी होनी चाहिए।
3. वैध PAN-GST पंजीकरण तथा संबंधित प्रमाण पत्र (Credentials) होना आवश्यक है।
4. निविदाकार को अपनी तकनीकी प्रोफाइल (फर्म प्रोफाइल, अनुभव विवरण, प्रमुख कार्मिकों का विवरण, समान परियोजनाओं की सूची, कार्य दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली आदि) के साथ वित्तीय प्रस्ताव (प्रति वर्गफुट, GST विवरण, भुगतान अनुसूची आदि) सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

सामान्य शर्तें :

1. डॉ. अम्बड़ेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर समिति को बिना कोई कारण बताए किसी भी अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
2. अपूर्ण या शर्तों सहित प्रस्तुत निविदाएँ निरस्त किए जाने योग्य होंगी।
3. चयनित ठेकेदार को सेवाएँ प्रारंभ करने से पूर्व डॉ. अम्बड़ेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर समिति के साथ विधिवत अनुबंध निस्पादित करना अनिवार्य होगा।
4. निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पश्चात भी चयनित ठेकेदार/फर्म अगामी तीन वर्षों तक डॉ. अम्बड़ेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर द्वारा स्वीकृत निविदा दरों पर कार्य करने के लिए बाध्य रहेगा।
5. भुगतान चरणबद्ध (स्टेज – वाइज) जारी किए जाएंगे तथा पूर्ण किए गए कार्य का भुगतान डॉ. अम्बड़ेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर की तकनीकी समिति द्वारा प्रमाणन एवं डॉ. अम्बड़ेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर समिति के नियमों के अनुसार किया जाएगा।
6. डॉ. अम्बड़ेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान जयपुर समिति का निर्णय सभी निविदाकारों पर अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
7. कार्य आदेश जारी होने के 7 दिनों के भीतर ठेकेदार को अनुबंध निस्पादित करना होगा।
8. अधिक जानकारी हेतु कार्यालय समय में डॉ. अम्बड़ेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान, जयपुर समिति कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

वित्तीय निविदा

क्र. सं.	कार्य का विवरण	राशि दर प्रति वर्ग फुट
1	<p>सम्पूर्ण स्ट्रक्चर निर्माण कार्य छत नाप वर्गफिट में किया जायेगा (सम्पूर्ण स्ट्रक्चर निर्माण कार्य (आर.सी.सी., आर.सी.सी. वॉल, फ्लोर ब्रिक वर्क, सभी दीवारों पर अंदर एवं बाहर व सीलिंग का प्लास्टर तक) जिसमें लेवलिंग एवं रॉलिंग कॉम्पैक्शन, पी.सी.सी., आर.सी.सी. राफ्ट एवं फूटिंग, फ्लोर पर ब्रिक वाल्स, बीम्स, आर.सी.सी. कॉलम एवं रूफ कास्टिंग, फ्लोर लंग पी.सी.सी., ग्रेडिंग (ड्रॉइंग एवं आवश्यकतानुसार), लोहा कटाई व बंधाई, स्टील संटे रिंग एण्ड शटरिंग, रिटेनिंग वॉल, डॉर फ्रेम फिटिंग, वाटर प्रूफिंग (आवश्यकतानुसार) इत्यादि सम्मिलित होंगे। सभी कार्य स्वीकृत मानचित्र अनुसार सम्पूर्ण स्ट्रक्चर निर्माण कार्य मटेरियल तथा मजदूरी सहित शामिल हैं जो ठेकेदार को करना होगा। भवन निर्माण के उपरोक्त कार्य में लगने वाली समस्त सामग्री ठेकेदार अपने खर्च पर उपलब्ध करवायेगा।</p> <p>कार्य की सामग्री तथा मजदूरी ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा</p>	
2	<p>सम्पूर्ण स्ट्रक्चर निर्माण कार्य छत नाप वर्गफिट में किया जायेगा (सम्पूर्ण स्ट्रक्चर निर्माण कार्य (आर.सी.सी. आर.सी.सी. वॉल, फ्लोर ब्रिक वर्क, सभी दीवारों पर अंदर एवं बाहर व सीलिंग का प्लास्टर तक) जिसमें लेवलिंग एवं रॉलिंग कॉम्पैक्शन, पी.सी.सी., आर.सी.सी. राफ्ट एवं फूटिंग, फ्लोर पर ब्रिक वाल्स, बीम्स, आर.सी.सी. कॉलम एवं रूफ कास्टिंग, फ्लोर सीलिंग पी.सी.सी., ग्रेडिंग (ड्रॉइंग एवं आवश्यकतानुसार), लोहे कटाई व बंधाई, स्टील संटे रिंग एण्ड शटरिंग, रिटेनिंग वॉल, डॉर फ्रेम फिटिंग, वाटर प्रूफिंग (आवश्यकतानुसार) इत्यादि सम्मिलित होंगे। सभी कार्य स्वीकृत मानचित्र अनुसार सम्पूर्ण स्ट्रक्चर निर्माण कार्य मटेरियल तथा मजदूरी सहित शामिल हैं जो ठेकेदार को करना होगा। भवन निर्माण के उपरोक्त कार्य में लगने वाली समस्त सामग्री ठेकेदार अपने खर्च पर उपलब्ध करवायेगा।</p> <p>सरिया/सीमेंट संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।</p>	
जी एस टी राज्य सरकार के अनुसार		

अन्य ITEM RATES में सामग्री व मजदूरी को सम्मिलित करते हैं

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	यूनिट	दर
1	ब्रिक कार्य	Cuft	
2	पी सी सी	Cuft	
3	प्लास्टर कार्य	Sqft	
4	स्टील वर्क	Kg	
5	Concrete work	M-15	
6		M-20	
7		M-25	

हस्ताक्षर ठेकेदार

विशेष परिस्थितिया शर्तें

डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी कैम्पस झालाना संस्थागत क्षेत्र जयपुर में **माता रमाबाई बालिका छात्रावास** का निर्माण कार्य प्रस्तावित हैं।

बालिका छात्रावास के निर्माण का कार्य (मात्र स्ट्रक्चर तक) वर्ग फिट दर पर मैटेरियल तथा मजदूरी सहित ठेके पर निर्माण कराने का प्रस्ताव है जिसकी शर्तें निम्नलिखित हैं :-

1. बालिका छात्रावास योजना में प्रस्तावित G+3 उपरोक्तानुसार कुल चार मंजिल) जो कि अनुमानित 40000 वर्ग फुट का निर्माण प्रस्तावित है, प्रत्येक मंजिल पर लगभग 10,000 वर्ग फुट बनाया जायेगा जिसकी ड्राइंग समय-समय पर डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी द्वारा ठेकेदार को उपलब्ध करवाई जाएगी एवं ड्राइंग के अनुरूप ही ठेकेदार द्वारा कार्य किया जाएगा।
2. ठेकेदार द्वारा सम्पूर्ण स्ट्रक्चर निर्माण कार्य (आर.सी.सी. आर.सी.सी. वॉल, फ्लारे ब्रिक वर्क, सभी दीवारों पर अंदर एवं बाहर व सीलिंग का प्लास्टर तक) जिसमें लेवलिंग एवं रॉलिंग कॉम्पकेशन, पी.सी.सी., आर.सी.सी. राफ्ट एवं फूटिंग,, फ्लोर पर ब्रिक वाल्स, बीम्स, आर.सी.सी. कॉलम एवं रूफ कास्टिंग, फ्लोर सोलिंग पी.सी.सी., ग्रेडिंग (ड्राइंग एवं आवश्यकतानुसार), लोहा कटाई व बंधाई, स्टील सेंटरिंग एण्ड शटरिंग, रिटेनिंग वॉल, डॉर फ्रेम फिटिंग, वाटर प्रूफिंग (आवश्यकतानुसार) इत्यादि सम्मिलित होंगे। सभी कार्य स्वीकृत मानचित्र अनुसार सम्पूर्ण स्ट्रक्चर निर्माण कार्य मैटेरियल तथा मजदूरी सहित शामिल हैं जो ठेकेदार को करना होगा। भवन निर्माण के उपरोक्त कार्य में लगने वाली समस्त सामग्री ठेकेदार अपने खर्च पर उपलब्ध करवायेगा जबकि सीमेंट एवं सरिया प्रथम पक्षकार साईट पर किसी एक निश्चित स्थान तक निःशुल्क उपलब्ध करवायेगा जिसे उचित स्थान पर संग्रह करवाकर प्रयोग में लेना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी एवं डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी किसी भी प्रकार का कोई भी मैटेरियल साईट पर शिफ्ट करवाकर नहीं देगा, यदि किसी भी प्रकार की मैटेरियल शिफ्टिंग की आवश्यकता होगी तो ठेकेदार स्वयं अपने खर्च पर मैटेरियल शिफ्ट करवायेगा।
3. निर्माण कार्य में गुणावता की 100 प्रतिशत जेट-ब्लेक ग्रेट, बजरी बनास या जैतारण की डबल वॉश, ईट कानाते या हरियाण की एक नं. लाल ईट, बाईडिंग वायर टाटा, सीसी कवर ब्लॉक काम में लिये जायेंगे।
4. ठेकेदार द्वारा साईट पर मगंवाये जाने वाले प्रत्येक सामान को डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी का अधिकृत भवन निर्माण समिति जांच करेगा उसके उपरांत ही मैटेरियल साईट पर अनलोड किया जायेगा और काम लिया जायेगा।
5. निर्माण कार्य के दौरान होने वाले समस्त प्रकार के खर्च जैसे कि निर्माण सामग्री, मजदूरी, बिजली खर्च, पानी, सुरक्षा आदि द्वितीय पक्षकार को करना होगा। कंस्ट्रक्शन के लिए बिजली कनेक्शन डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा किंतु बिजली बिल का भुगतान द्वितीय पक्षकार द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिजली कटौती के कारण कार्य प्रभावित ना हो इस हेतु साईट पर ठेकेदार द्वारा एक उचित कंटेनेर का जनरेटर लगवाया जाएगा तथा इसमें लगने वाला डीजल एवं मैटेनेंस ठेकेदार स्वयं वहन करेगा।
6. निर्माण कार्य के दौरान ठेकेदार द्वारा सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग व/या अन्य सम्बन्धित विभागों द्वारा बनाये गये बिल्डिंग बॉयलॉज एवं कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस की पूर्णरूप से उचित पालना आवश्यक रूप से की जानी होगी तथा जिसमें ठेकेदार की ओर से किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की जायेगी।

हस्ताक्षर ठेकेदार

7. निर्माण कार्य आरंभ कर 15 माह में उपरोक्त कार्य पूर्ण करना होगा। अपरिहार्य कारणों में प्राकृतिक आपदा एवं मेज्योर फोर्स जैसे कलॉजेस लागू होंगे।
8. ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर परियोजना के नाम सहितएवं का डिसप्ले बोर्ड परियोजना के रजिस्टर्ड नम्बर/अप्रूवल नम्बर को दर्शाते हुए लगाकर निर्माण कार्य किया जाएगा।
9. प्रति स्क्वायर फुट छत नाप से होगी। जिसमें छत का आर.सी.सी. एरिया नापा जाएगा। जिसमें बॉलकनी और सीढ़ियों का नाप छत नाप में शामिल माना जाएगा। 50 फीट से अधिक के कट-आउट का डिडक्शन छत एरिया में से किया जाए।
10. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक बिल का प्रथम पक्षकार द्वारा सत्यापित करने के उपरांत सत्यापन की दिनांक से 15 दिवस में 5 (पांच) प्रतिशत सिक्वोरिटी राशि काट कर भुगतान द्वितीय पक्षकार के खाते में कर दिया जायेगा। प्रथम पक्षकार द्वारा काटी गई सिक्वोरिटी राशि की आधी राशि यानि 2.5 प्रतिशत भाग कार्य पूर्ण होने पर एवं शेष सिक्वोरिटी राशि डिफेक्ट लाइब्लिटी पीरियड समाप्त होने पर किया जायेगा डिफेक्ट लाइब्लिटी पीरियड कार्य पूर्ण होने की दिनांक से 1 वर्ष तक की होगी।
11. दिन में न्यूनतम 3 बार क्यूरिंग ठेकेदार को करवानी होगी। कॉलम एवं फूटिंग की क्यूरिंग टाट पट्टी लगाकर करनी होगी। अगर समय पर और नॉर्मस के हिसाब से क्यूरिंग नहीं होती है तो डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी क्यूरिंग के लिए अपनी लेबर लगा देगा और उसका खर्चा 1.5 गुना ठेकेदार के खाते में डेबिट कर देगा। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को साईट पर 24 घंटे के लिए चौकीदार की व्यवस्था अपने खर्चे पर करनी होगी। जिसके लिए ठेकेदार आवश्यक व्यक्तियों की नियुक्ति अपने खर्च पर करेगा। उनके वेतन व अन्य समस्त प्रकार के खर्च की जिम्मेदारी यानि ठेकेदार की होगी। साईट पर डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी का एक चौकीदार भी रहेगा।
12. रात्रि में कार्य करने के लिए ठेकेदार को साईट पर एक बिजली कर्मचारी रखना होगा और साईट पर कोई अनहोनी आपदा होती है तो उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार को एक डिग्रीधारी एवं अनुभवी सिविल इंजीनियर को अपने खर्च पर साईट पर नियुक्त करना होगा जो कम्प्यूटर कार्यों में दक्ष हो तथा प्रोफेशनल ऑटोकेड व माइक्रासॉफ्ट प्रोजेक्ट की जानकारी रखता हो। सिविल इंजीनियर का सम्पूर्ण बायोडेटा व तकनीकी योग्यता की सम्पूर्ण जानकारी उसकी नियुक्ति से पूर्व डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी के कार्यालय में प्रस्तुत कर डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी से पुष्टि करवानी होगी। कार्य की गति, गुणवत्ता तथा डिजाइन के सम्बन्ध में डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी द्वारा नियुक्त इंजीनियर द्वितीय पक्ष के नियुक्त इंजीनियर से मिलकर प्राजेक्ट में नियुक्त आर्किटेक्ट/प्रोजेक्ट हेड/प्राजेक्ट मैनेजर/प्राजेक्ट इंजीनियर से डिस्कसन के उपरान्त ही अन्तिम निर्णय लेना होगा तथा डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी के अन्तिम निर्णय को लिपिबद्ध कर अपने रजिस्टर में हस्ताक्षर कर उस सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। मौखिक आरोप-प्रत्यारोप का कोई महत्व नहीं रहेगा। अतः प्रत्येक निर्णय को द्वितीय पक्षकार अपने दैनिक रजिस्टर में दर्ज कर डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी द्वारा नियुक्त इंजीनियर/अधिकारी से हस्ताक्षर लेगा।
14. ठेकेदार साईट पर किसी भी कार्य के लिए 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य के लिये नियुक्त नहीं करेगा एवं लेबर लॉ, पीएफ, ईएसआई एवं सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधानों की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी और निर्माण कार्य के दौरान किसी मजदूर या श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उसकी समस्त प्रकार की कानूनी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
15. ठेकेदार को निर्माण कार्य हेतु मानक सुरक्षा प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा जिसके लिए समस्त आवश्यक उपकरण, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी शुज, जाली व फस्टएड बॉक्स इत्यादि साईट पर आवश्यक रूप से हर समय उपलब्ध रखना होगा तथा नियमानुसार सुरक्षा मापदंडों का पूर्ण पालन करना होगा। सुरक्षा के अभाव में या लापरवाही से होने वाली समस्त प्रकार की दुर्घटनाओं की सिविल

हस्ताक्षर ठेकेदार

या अपराधिक जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इसके अतिरिक्त ठेकेदार को निर्माण स्थल पर सेपटी कवरींग (आवश्यकतानुसार) ग्रीन पर्दा या टीन या अन्य बेरीकेड्स लगाकर करवानी होगी।

16. ठेकेदार के इंजीनियर को प्रतिदिन कार्यरत लेबर की एम.पी.आर. निर्धारित फॉर्मेट में प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे तक देनी अनिवार्य होगी। प्रतिदिन के अन्त में किये गए कार्य का माप सहित पूर्ण विवरण व मटेरियल रिकंसाइलेशन रिपोर्ट देनी अनिवार्य होगी।
17. द्वितीय पक्षकार को हर महीने काम की साप्ताहिक प्लानिंग देनी होगी तथा उसी प्लानिंग के अनुसार काम करके देना होगा अगर दी गई प्लानिंग में 90 प्रतिशत से कम काम होता है तो टोटल प्लानिंग के काम की कॉस्टिंग का 1 प्रतिशत पेनेल्टी के रूप में प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार के अकाउंट में डेबिट कर दिया जायेगा।
18. आर.सी.सी. कार्य में काम ली जाने वाली शटरिंग में प्लाई का प्रयोग होगा, परन्तु केवल छत में स्टील प्लेटें लगाने की अनुमति दी जा सकती है तथा वर्टीकल सपोर्ट के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत स्टील जैक का उपयोग किया जाएगा, रस्सी बलियों का उपयोग किया जा सकता है (यथा सम्भव बलियों का प्रयोग कम से कम करना होगा)। आर.सी.सी. कार्य में काम वाली समस्त सामग्री/शटरिंग बिल्कुल भी टूटी-फूटी, खराब, रीजेक्टेड या एक्सपायर्ड नहीं होनी चाहिए बल्कि ये समस्त सामग्री/कार्य-प्रणाली/रखरखाव उच्च गुणवतायुक्त, भारतीय मानकों जैसे; आई.एस.आई. मार्क, एन.बी.सी. गाइडलाइन्स, आई.एस. कोड्स के अनुरूप ही होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रत्येक डी-शटरिंग के उपरांत शटरिंग में काम आने वाले सामान को साफ व आवश्यकतानुसार रिपेयर करके ही पुनः प्रयोग में लिया जायेगा, ऐसे नहीं करने पर होने वाले समस्त नुकसान के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होंगे।
19. किसी भी कार्य में कहीं भी अगर प्लास्टर कार्य या आर.सी.सी. कास्टिंग करनी होगी तो द्वितीय पक्षकार का इंजीनियर कास्टिंग से 3 दिन पूर्व सूचित करेगा ताकि डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी अपने इलेक्ट्रिशियन द्वारा कंड्यूटिंग कार्य करवाकर दे सके इसके अतिरिक्त कास्टिंग से पहले लाईन, लेवल, सरिया इत्यादि का कार्य ड्राइंग के अनुसार द्वितीय पक्षकार का इंजीनियर पहले स्वयं चेक करने के उपरांत डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी के इंजीनियर को चेक करवाकर चैक लिस्ट पर डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी के इंजीनियर से हस्ताक्षर एवं कास्टिंग की अनुमति लेने के उपरांत ही कास्टिंग चालू करेगा और कास्टिंग पूरी होने तक द्वितीय पक्षकार का इंजीनियर कास्टिंग साइट पर उपस्थित रहेगा एवं डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी के इंजीनियर द्वारा दिये जाने वाले सभी निर्देशों का पालन करेगा। ऐसे नहीं करने पर कास्टिंग रुकवा दी जायेगी। इसके अतिरिक्त कास्टिंग का कार्य पूर्ण होते समय लास्ट बैच में आवश्यकता जितना ही मिक्स तैयार किया जायेगा ताकि कास्टिंग पूर्ण होने पर मिक्स बैच नहीं। लाईन को तुरंत साफ करके निकले हुए मिक्स को 15-20 मिनट के भीतर कास्टिंग में काम लिया जायेगा लाईन जाम होने की स्थिति में लाईन को साफ करने एवं बॉल पास करने हेतु सीमेंट डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी की ओर से उपलब्ध नहीं करवाई जायेगी। इस कारण किसी भी प्रकार का मटेरियल ओर लेबर का नुकसान होगा उसके लिए ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।
20. प्रत्येक कास्टिंग पर कंकरीट मिक्सर से क्यूब भरकर टेस्टिंग प्रथम डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी के साइट इंजीनियर की उपस्थिति में द्वितीय पक्षकार को करानी होगी। जिसके लिए क्यूब टेस्टिंग मशीन और अन्य आवश्यक उपकरण आदि साइट पर द्वितीय पक्षकार को अपने खर्च पर हर समय उपलब्ध रखना होगा तथा समय-समय पर मशीन का केलिब्रेशन करवाकर उसका सर्टिफिकेट डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी के इंजीनियर को उपलब्ध करवाना होगा।
21. ग्राउण्ड पर पी.सी.सी., राफ्ट, फूटिंग एवं कॉलम इत्यादि की जो भी ले-आउट होनी होगी वो द्वितीय पक्षकार ठेकेदार को केलिब्रेटेड टोटल स्टेशन से करवा कर कास्टिंग शुरू करने से पहले डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी के इंजीनियर को चेक करवाना होगा इसके अतिरिक्त भी अनिवार्य होने पर द्वितीय पक्षकार टी.एस. का प्रयोग करेगा। साइट पर जब भी लेवल चेक करने की जरूरत होगी, तब द्वितीय पक्षकार को केलिब्रेटेड ऑटोलेवल मशीन या टोटल स्टेशन साइट पर उपलब्ध करवानी होगी

हस्ताक्षर ठेकेदार



- एवं लेवलिंग का कार्य प्रथम पक्षकार के इंजीनियर की देखरेख में उसके निर्देशों के अनुसार ही करवाया जायेगा साईट पर जब भी टी.एस. की जरूरत होगी तो वो बीकानेर से लोकल ही उपलब्ध करवाया जा सकता है। काम के दौरान अगर आरसीसी के काम में कहीं पर हनी-कॉम्बिंग आती है तो पहले डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी के इंजीनियर को तुरन्त दिखाना होगा, तभी उसका निर्णय लिया जाएगा कि उस पार्ट को तोड़ कर वापस कास्ट करना है या माइक्रो कॉन्क्रीट या प्रेशर ग्राउट करके रिपेयर करना है।
22. सभी कार्य आईएस कोड, सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशन, यूआईटी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एनवायरन्मेंट , एनबीसी और बिल्डिंग बायलॉज के दिशा-निर्देशानुसार करने होंगे।
 23. समस्त निर्माण सामग्री, उपकरण, मशीनरी, शटरिंग, अडाण का सामान इत्यादि ठेकेदार द्वारा जो भी प्रयोग में लिये जायेंगे वो उच्चगुणवता के होने चाहिए और इसमें ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जायेगी।
 24. ठेकेदार निर्माण कार्य के दौरान साईट पर मैटेरियल को निर्माणाधीन बिल्डिंग में लोडिंग करने के लिए अपने खर्च पर एक टॉवर क्रेन लगवायेगा और उसी से मैटेरियल लोडिंग का कार्य किया जायेगा। टॉवर क्रेन लगवाने के लिए अनिवार्य सिविल कार्य द्वितीय पक्षकार स्वयं अपने खर्च पर करवायेगा एवं प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण कर डॉ. अम्बडेकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी को हस्तारित करने से पूर्व द्वितीय पक्षकार स्वयं ही उसे हटायेगा।
 25. टैरेस फ्लोर पर दिए गए एलिवेशन एवं 3 डी के अनुसार एलिवेशन कार्य हेतु कॉलम, लिंटिल, स्लैब और ब्रिक इत्यादि से किया जाने वाला कार्य नीचे के फ्लोर के स्लैब माप में ही सम्मिलित होंगे। टैरेस फ्लोर पर एलिवेशन कार्य हेतु अलग से मेजरमेंट या भुगतान नहीं किया जायेगा।
 26. वर्तमान में साईट पर एक साईट ऑफिस और सामान रखने का गोदाम बना हुआ है इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अस्थायी निर्माण जैसे कि गार्ड रूम, लेबॉरेट्री एवं लेबर हेतु झोंपड़िया इत्यादि द्वितीय पक्षकार स्वयं अपने स्तर पर अपने खर्च से बनवायेंगे और कार्य समाप्त करके प्रथम पक्षकार को सौंपने से पूर्व ऐसे अस्थाई निर्माण को अपने खर्च पर हटा देगा।
 27. साईट पर निर्माण के दौरान कार्यरत अपनी समस्त लेबर, कर्मचारी, साईट पर आने वाले विजिटर्स, साईट पर कार्यरत प्रथम पक्षकार के कर्मचारियों इत्यादि की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। साथ ही ठेकेदार CAR (Contractor's All Risk) इश्योरेंस पॉलिसी आवश्यक रूप से करवायेगा और निर्माण कार्य समाप्त होने तक समय-समय पर उस पॉलिसी को रिन्यू करवायेंगे साईट पर कार्य प्रारम्भ करते ही बीमा पॉलिसी करवाकर पॉलिसी की प्रति एक सप्ताह के भीतर द्वितीय पक्षकार द्वारा प्रथम पक्षकार के कार्यालय में जमा करवानी होगी तत्पश्चात समय-समय पर रिन्यू करवाने पर भी प्रति प्रथम पक्षकार के कार्यालय में जमा करवानी होगी। बीमा पॉलिसी की प्रति प्राप्त ना होने पर ठेकेदार के समस्त भुगतान रोक दिये जायेगे। इसके अतिरिक्त द्वितीय पक्षकार को अपने कर्मचारियों के पी. एफ. व ई. एस. आई. का सर्टिफिकेट संबंधित कार्यालय से प्राप्त कर उसकी प्रति प्रथम पक्षकार के कार्यालय में उपलब्ध करवानी होगी।
 28. निर्माण, श्रम, श्रमिक, प्रदूषण, वातावरण, नगरीय निकाय एवं मटेरियल से सम्बन्धित समस्त अधिनियम, मानदण्ड व राजकीय आदेशों की नियमावली की द्वितीय पक्षकारपूर्ण रूप से पालना करेगा। निर्माण स्थल पर ठेकेदार की लापरवाही, गलती या सुरक्षा मानदण्डों की चूक के कारण या निर्माण में काम ली जाने मशीनरी, उपकरण या वाहनों के कारण किसी श्रमिक, ठेकेदार के कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी या साईट विजिट करने वाले व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की दुघटना के कारण किसी प्रकार की साधारण या गंभीर चोट आती है या कोई जनहानि होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से ठेकेदार की होगी एवं समस्त सिविल व आपराधिक जिम्मेदारी भी द्वितीय पक्षकार की होगी। ऐसे किसी दायित्व पर प्रथम पक्षकार की किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।



हस्ताक्षर ठेकेदार

29. समस्त निर्माण कार्य में प्रयुक्त सामग्री एवं कार्य की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन इस इकरारनामा में संलग्न 'अनुलग्नक ब' के अनुरूप होगी और द्वितीय पक्षकार इसकी पूर्ण पालना करने हेतु बाध्य रहेंगे इस बाबत ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने एवं कमी पायी जाने कार्य की गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की क्षतिपूर्ति की एवज में प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार के खाते में राशि को डेबिट कर ठेकेदार को सूचित कर देगा।
30. ठेकेदार निर्माण कार्य के दौरान उक्त परिसर में ठेकेदार द्वारा किसी प्रकार की कोई गैर कानूनी वस्तु नहीं रखी जायेगी तथा ना किसी प्रकार की कोई गैर कानूनी गतिविधि संचालित की जायेगी, यदि किसी प्रकार की अनियमितता या उल्लंघन पाया जाता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी प्रथम पक्षकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी ठेकेदार किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं कर सकेगा।
31. निर्माण कार्य के दौरान बिल्डिंग को अंदर व बाहर से एवं साईट को साफ रखेगा एवं समय-समय पर आवश्यकतानुसार सफाई करवायेगा यदि प्रथम पक्षकार को साईट पर बिल्डिंग के अंदर या बाहर साईट पर कहीं भी सफाई करवाने की आवश्यकता महसूस होगी तो उसके कहने पर द्वितीय पक्षकार को साईट की सफाई जेसीबी, ट्रेक्टर या लेबर इत्यादि से अपने खर्च पर करवानी होगी। इसके अतिरिक्त कार्य पूर्ण कर प्रथम पक्षकार को सौंपने से पहले बिल्डिंग्स के अंदर, बाहर व समस्त साईट की सिविल कार्य से संबंधित साफ सफाई ठेकेदार को अपने खर्च पर करवा कर देनी होगी।

(अनुमोदित साईट प्लान व अन्य भवन मानचित्रों की अनुमोदित प्रति)

योजना का नाम व पता : माता रमाबाई बालिका छात्रावास, पता : डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी कैंपस, झालाना संस्थागत क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान)।





“अनुलग्नक ब”

योजना का नाम : माता रमाबाई बालिका छात्रावास,
पता : डॉ. अम्बेडकर वेलफेयर सोसायटी कैंपस, झालाना संस्थागत क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान)।

माप का तरीका : प्रत्येक छत का माप बाहर से बाहर।
कार्य की दर : रु. प्रति वर्गफीट (जीएसटी और अन्य टैक्स अतिरिक्त)
कार्य का दायरा : नीचे दिए गए विवरण अनुसार।

S.N.	Item Name	Description
1.	PCC	P/L PCC 1:3:6 for foundation, under footings and sub base for floor in 40 mm nominal size grit. Thickness of PCC 0'-6" as per drawing.
2.	Brick Masonry	Brick masonry with in CSM 1:5
3.	RCC Work	P/L RCC with mix suggested in drawing for footings raft, column, beam, slab, stair, landings, waist slab etc. whereas required as per drawing. C.C. cover block will be used.
4.	Centering shuttering	Centering shuttering with steel plates and wooden ply props and steel jacks complete where as required.
5.	Steel reinforcement	P/L steel reinforcement with Tata binding wire complete as per drawing where as required. Required TMT Steel bars will be provided by first party for construction FOC and labour charge at site will be born by second party.
6.	Bricks Masonry	P/L 230mm, 115mm, bricks masonry in super structure in CSM 1:5. For 115mm bricks work 100mm thick reinforced concrete stiffener will be provided in mid of 4' of the wall height. For bricks masonry.
7.	Inside plaster	P/A 12-15mm thick single coat plaster in CSM 1:5 for wall and 8-10mm thick in CSM 1:4 for ceiling plaster finish gurmala or rough where as required and as per drawing with scaffolding and curing etc. Note : Second party will inform First Party's engineer before starting any plaster work to complete any kind of conducting so the same can be done by First party as its on the part of the First Party.

हस्ताक्षर ठेकेदार

8.	Outer Plaster	P/A Up to 20mm thick single coat outer plaster in CSM 1:4 with scaffolding and curing complete and double coat plaster in CSM 1:4 wherever outer walls having grooves as per given/proposed elevation. starting any plaster work to complete any kind of conducting so the same can be done by First party as its on the part of the First Party.
11.	DoorFrame	Fixing Sal Wood/Granite Door Frames for doors. Single rebate door frame for inside and only main door double rebate door frame will be used.
12.	Floor PCC	With soling PCC of at least 6" thickness with M10 concrete.
13.	Grading	Grading on terrace floor with at least 2 layers water proofing chemical (SVR Latex of Sika/MasterBuilder/Pidilite/Fosrock) coating will be done.
14.	Water Proofing	Water proofing wherever is required will be done as per site engineer's instruction. Cement and water proofing chemical will be provided by First Party.

29

सत्यवीर सिंह (IPS Retd.)
(अध्यक्ष)

डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी राजस्थान

नोट :

फर्म का नाम :-

मोबाइल नम्बर :-

ई-मेल :-

पता :-

जारीकर्ता का नाम

हस्ताक्षर ठेकेदार